

28-12-23

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील प्राधी प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज पेश करने का अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्तो बहस/दस्तावेज में दि. 20.1.23

20.1.23

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील प्राधी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाकर बहस कि गई पत्रावली वास्तो आदेश में दिनांक 6.2.23 को पेश हो।

6.2.23

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील प्राधी द्वारा प्रा. पत्र अनुसार बहस करते हुए। निवेदन किया है कि सहवन से विरासत का इत्तकाल खोलते समय हुल्का पटवारी द्वारा उयनाम दल्लू केवर नाम अंकित कर दिया। जिसे दल्लू केवर नाम के स्थान पर कृष्णा केवर शुद्ध कर अंकित किया जाकर प्रा. स्वीकार किया जावे। वकील प्राधी की जवाबी बहस में पैरोकार जहसील दार द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रा. पत्र द्वारा प्राधीया नाम शुद्धी दल्लू केवर से कृष्णा केवर कराना चाहती हैं। परन्तु वक्तना. स. पुंव जमा बन्दी अर्धी प्रस्तुत नहीं कि है। अर्धी प्राधीया का प्रा. पत्र खारिज किया जावे। प्रकरण में उभय पक्ष को बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया। पुव प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें शायद पत्र जो प्राधीया द्वारा प्रस्तुत किया है जिसकी धाया प्रति है में दल्लू केवर उर्फ कृष्णा केवर पुत्री भैरु सिंह व आधार कार्ड की धाया प्रति में कृष्णा केवर पति संजय सिंह है। व विवाह पत्रिका की धाया प्रति पुंव ग्रा. यथायत गोयाल पुरा के पत्र क्र. स./ग्रा. य. गा./2022-23/SP4. दि. 2-1-2023 को सरयंच द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया दल्लू केवर उर्फ कृष्णा केवर दोनों ही नाम से जाना जाता है।

अर्धी प्राधीया का प्रा. पत्र अ. धा. 1364 R.A का स्वीकार